न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 25/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/100)

1. बनवारी पुत्र फूला, जाति गुर्जर, निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान।
2. गजेन्द्र पुत्र सुगडा, जाति खटीक, निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार साहब, बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान।

–असल–रेस्पोडेन्ट

2. छीतर पुत्र फूला, जाति गुर्जर निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
3. शयोकोरी पुत्री फूला, जाति गुर्जर निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
4. पार्वती बेवा ओमकार, जाति खटीक, निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
5. रामवतार पुत्र ओमकार, जाति खटीक निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर जिला अलयर राजस्थान ।
6. कौशल्या पुत्री बहादर, जाति खटीक, निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर जिला अस्यर राजस्थान ।
7. गणगौर पुत्री सुगडा, जाति खटीक, निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर राजस्थान।
8. पूजा पुत्री सुगडा, जाति खटीक, निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर राजस्थान।
9. फूली पुत्री बहादर, जाति खटीक, निवार्स मोरोडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर राजस्थान।
10. रघुवीर पुत्र दुलीचन्द, जाति खटीक, निवासी मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान ।
11. रामशरण पुत्र भगवाना, जाति खटीक, निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर, जिला अलयर राजस्थान।
12. ललित पुत्र सुगडा, जाति खटीक निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर जिल्ला अलवर राजस्थान ।
13. सन्तरा पुत्री भगवाना, जाति खटीक, निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर जिल्ला अलयर राजस्थान ।
14. सरती पत्नि दुलीचन्द, जाति खटीक, निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर राजस्थान।
15. हजारी पुत्र दुलीचन्द, जाति खटील, निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान ।

–तरतीबी–रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय साहब उपखण्ड अधिकारी, बानसूर, जिला अलवर, दिनांक 04.03.2022 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या के अनुशंसा के आधार पर खसरा नं0 869 व 867 में से रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये जो आदेश गलत व खिलाफ मनशाये कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है व अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है व अन्य दादरसी।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 15 अनुपस्थित।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–31.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 04.03.2022 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 08.05.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर द्वारा दिनांक 03.01.2022 को प्रस्ताव बाबत चालू स्थाई रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ ग्राम मोरोडी, तहसील बानसूर के आराजी खसरा नम्बर 869, 867 में से मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर ने तहसीलदार बानसूर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04.03.2022 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 04.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट बनवारी पुत्र फूला वगैरहा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 04.03.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का व भू–निरीक्षक की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 03.01.2022 के आधार पर खसरा नं0 869 व 867 जो कि अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें रास्ता दर्शाते हुए दिनांक 03.01.2022 को उपखण्ड अधिकारी, बानसूर को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराने हेतु प्रतिप्रेषित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किया गया। जिस पत्र के आधार पर प्रशासन गांव के संग क्रमाक 105 दिनांक 03.01.2022 को आधार मानते हुए विद्वान तहत् न्यायालय ने 04.03.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। तहत् अदालत द्वारा व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करते समय व उक्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने की अनुशंसा करते समय तथा तहत् न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पारित करते समय मिन अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्ट खातेदारान को किसी प्रकार की कोई सूचना व नोटिस नही दिया गया। दिनांक 28.03.2023 पटवारी हल्का व कानूनगो मौके पर रास्ते की कार्यवाही करने गये तो पता चला कि मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में से दिनांक 04.03.2022 को खसरा नं0 869 में से 4 एयर व 867 में से 7 एयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है।

मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट आराजी खसरा नं० 869 च 867 के कब्जेकाश्त खातेदार है और मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की आराजी में से कभी कोई रास्ता नही रहा और ना ही कभी किसी आराजी में यह रास्ता जा रहा है। पटवारी हल्का व मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 03.01.2022 में यह गलत दर्शाया है कि खसरा नं० 902 तक रास्ता जाता है। जबकि पटवारी हल्का ने नजरी नक्शा बनाते हुए खसरा नं० 902 को दर्शाया ही नहीं है। इससे पटवारी हल्का की मौका निरीक्षण रिपोर्ट स्वतः ही गलत हो जाती है। कानूनन मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को रास्ता कायम किये जाने से पूर्व विधिवत नोटिस दिया जाना चाहिए था तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी खातेदारान के समक्ष बनानी चाहिए थी लेकिन इस तरह की कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का व कानूनगो द्वारा नही बनाई गई है और सीधे तौर पर अपनी मनमर्जी के आधार पर मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर मिन खातेदारान को नुकसान पहुंचाने की गर्ज व नियत से खातेदारी भूमि में से रास्ता दिये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार साहब के समक्ष प्रस्तुत की है और रेस्पोडेन्ट संख्या

1 ने भी बिना किसी प्रकार की जांच किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये तहत् न्यायालय को दिनांक 03.01.2022 को ही अनुशंसा कर दी। जिस पर विद्वान तहत् न्यायालय ने बिना खातेदारान को सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहत् न्यायालय द्वारा राजस्व ग्रुप (6) विभाग के परिपत्र क्रमाक प.3 (2) राज0–6/2003/पार्ट/ जयपुर/दिनांक 10.08.2016 की पालना में आदेश पारित किया है। विद्वान तहत् न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अवलोकन नही किया गया। जबकि उक्त परिपत्र में स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया है कि खातेदार को नियम 58 (3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी–31 की प्रति सम्मन द्वारा दी जावेगी। लेकिन तहत् न्यायालय द्वारा ना तो खातेदारान को उक्त रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई और ना ही किसी प्रकार का कोई सम्मन जारी किया गया। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की खुल्लमखुला अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा 03.01.2022 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई और उस पर भू–अभिलेख निरीक्षक के 03.01.2022 को ही हस्ताक्षर कराये गये। तहसीलदार, बानसूर द्वारा हस्ताक्षर किस तारीख को किये गये कोई तारीख अंकित नही। मौका रिपोर्ट निरीक्षण से भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 03.01.2022 को ही तहत् न्यायालय को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपना पत्र प्रेषित किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि खातेदारान को किसी प्रकार का कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और मनमाने तरीके पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में यह भी अंकित किया गया है कि जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि 15 दिसम्बर 2016 के बाद उनके जिले में रास्ते सम्बन्धी कोई समस्या लम्बित एवं शेष नहीं है। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि यह परिपत्र 2016 का है, और अपीलाधीन आदेश 04.03.2022 का है। यदि वास्तव में मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में से कोई कदीमी रास्ता होता तो पटवारी हल्का सन् 2016 में ही रास्ते की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अनुशंसा करवाते लेकिन यह स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी में कभी कोई रास्ता ना तो था और ना मौके पर है और ना कभी उक्त आराजी को आवागमन रास्ते हेतु उपयोग में ली गई। यह कि तहत् न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही 03.01.2022 को की गई है। इससे स्पष्ट है कि यह समस्त कार्यवाही मिन खातेदारान को नाजायाज तंग व परेशान करने की नियत से की गई थी। यदि मिन अपीलान्ट की आराजी में से रास्ता कायम कर दिया गया तो मिन अपीलान्टान को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बानसूर, जिला अलवर दिनांक 04.03. 2022 निरस्त फरमाया जावे और आराजी खसरा नं० 869 व 867 पूर्व की भांति मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

तहत् अदालत द्वारा व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करते समय व उक्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने की अनुशंसा करते समय तथा तहत् न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पारित करते समय मिन अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्ट खातेदारान को किसी प्रकार की कोई सूचना व नोटिस नही दिया गया। अब दिनांक 28.03.2023 पटवारी हल्का व कानूनगो मौके पर रास्ते की कार्यवाही करने गये तो पता चला कि मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में से दिनांक 04.03.2022 को खसरा नं0 869 में से 4 एयर व 867 में से 7 एयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिस पर मिन अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की। साथ ही साथ तहत् न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.03.2022 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र 29.03.2023 को प्रस्तुत किया। जो नकल उसी दिन प्राप्त हो गयी। तत्पश्चात् मिन अपीलान्ट ने सहकाश्तकारो से विचार विमर्श किया जिन्होने मिन अपीलान्ट को अपील करने के लिए अधिकृत किया व वकील साहिबान से सलाह मशोहरा करने की बात कही। मिन अपीलान्टान द्वारा वकील साहिबान से सलाह मशोहरा किया तो उन्होंने अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी। क्योकि मिन अपीलान्टान काफी गरीब व्यक्ति है। जिनके पास पैसे आदि का इन्तजाम नही होता है और अब पैसे आदि का इन्तजाम कर वकील साहब के पास आया तो

उन्होने शीघ्र ही अपील दायर करने की सलाह दी। अब अपील तैयार कर न्यायालय श्रीमान में बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 04.03.2022 से अपील प्रस्तुत होने की दिनांक तक का समय कन्डोन किया जाकर अपील अन्दरमियाद शुमार की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 04.03.2022 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 28.03.2023 से होना अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि रास्ता कहॉ से कहॉ को जाता है बाबत कोई विवरण अंकित नहीं है। उक्त के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानूसर जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानूसर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर रास्ता मौके पर सार्वजनिक आवागमन हेतु चालू है तथा परिपत्र राजस्व ग्रुप (6) विभाग के परिपत्र क्रमाक प.3 (2) राज0–6/2003/पार्ट/ जयपुर/दिनांक 10.08.2016 संबंधी समस्त अर्हताओं की पूर्ति करके रास्ता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानूसर जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानूसर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर रास्ता मौके पर सार्वजनिक आवागमन हेतु चालू है तथा परिपत्र राजस्व ग्रुप (6) विभाग के परिपत्र क्रमाक प.3 (2) राज0–6/2003/पार्ट/ जयपुर/दिनांक 10.08.2016 संबंधी समस्त अर्हताओं की पूर्ति करके रास्ता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर